

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्तर्गत राबिल पर्यवाङ्ग शिपिर हड़ियाल

अनुदान :- भगवानाराम बनाम हुकमाराम आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :- 293...../2024

निर्णय दिनांक :-07/07/2025

भगवानाराम पुत्र जगनाराम जाति कुम्हार उम्र 62 वर्ष निवासी ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

1. हुकमाराम पुत्र जगनाराम प्रजापत निवासी ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु
2. सुखराम पुत्र अर्जुनराम मेघवाल निवासी ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु
3. तिलोकाराम पुत्र जगनाराम प्रजापत निवासी ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु
4. राजुराम पुत्र उदाराम प्रजापत निवासी ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरु

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 भू राजस्व अधिनियम हर प्रकार के साक्ष्य के आधार पर।

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एकट प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि कृषिभूमि ख.नं. 245/97 तादादी 4.6534 हैक्टर वाके रोही ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर में प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। यही विवादित कृषिभूमि है वास्ते मुलाहिजा राजस्व रिकार्ड प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त कृषिभूमि गांव ढाणा पट्टा राजपुरा की रोही में स्थित है उक्त कृषिभूमि ख. नं. 245/97 तादादी 4.6534 हैक्टर वाके रोही ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर के अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 जो कि प्रार्थी के पड़ोसियान है जिनके साथ हमेशा सीव बावत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते है जिस कारण प्रार्थी अपनी खेत के चारों ओर बाड़ वगैरह सही ढंग से नहीं कर सकता ना ही अपने खेत को सुधार सकता है व उक्त कृषिभूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है प्रार्थी की कृषिभूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषिभूमि की पैमाइश करवाना चाहता है। प्रार्थी अपनी कृषिभूमि के चारों ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है जिस वावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषिभूमि ख.नं. 245/97 तादादी 4.6534 हैक्टर वाके रोही ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर की पैमाइश में पत्थर गढ़ी करवाने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 5 को लिखित में सीमा ज्ञान का प्रार्थना-पत्र दिया व कहा कि प्रार्थी की खातेदारी कृषिभूमि की पैमाइश करवाई जाकर सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढ़ी का आदेश प्रदान करें। जिस पर अप्रार्थी सं. 5 के आदेश क्रमांक 79 पृष्ठ सं. 23 के अनुसार उपरोक्त खसराजात की भूमि पर मय राजस्व रिकॉर्ड मौके पर

Rajendra


पहुंचा, मौके पर उपस्थित काश्तकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के सामने जरीब चलाकर सीमा ज्ञान करवाया। सीमा ज्ञान से प्रार्थी ने असंतुष्टि जाहिर की जिस पर अब दिनांक 12.12.2024.. को अप्रार्थी ने कहा कि न्यायालय से आदेश होने पर ही तुम्हारे उक्त खेत की पत्थर गढ़ी करेंगे प्रार्थी को उपरोक्त विनाय तारीख ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक अधिकार व कारण हासिल है।

इस कारण प्रार्थी ने न्यायालय में अपने खेत की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपत राम शर्मा ने वकालतनामा दिनांक 03.06.2025 को पेश किया व पत्थरगढ़ी करवाने के लिए सहमत होना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 2 के अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 03.06.2025 को अमल में लाई गयी। पत्रावली पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ग्राम पंचायत हड़ियाल में पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी सं. 5 की ओर से राजपैरोकार ने राज्यहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। प्रार्थी के निवेदन पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी कृषिभूमि खाता सं. 63 खसरा नं. 245/97 तादादी 4.6434 हेक्टेयर, रोही मौजा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू के रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारों ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक कृषिभूमि खाता सं. 63 खसरा नं. 245/97 तादादी 4.6434 हेक्टेयर, रोही मौजा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू पत्थरगढ़ी स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। पत्थरगढ़ी कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। ध्यान रहे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।


(राजेंद्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 07/07/2025..... को कोर्ट कैम्प हड़ियाल में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(राजेंद्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)